मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल दिनांक 07/01/2022

क्रमांक/एफ12/05/2020/सत्रह/मेडि-1/:- कार्यालय विशेष पुलिस स्थापना, लोक आयुक्त कार्यालय म.प्र. भोपाल के पत्र 6905/अप.क्रं64/18/वि.पु.स्था./2020 भोपाल दिनांक 16.12.2020 द्वारा अपराध क्रमांक-64/2018 विरूद्ध डॉ. एन.के. जसूजा (निर्मल कुमार जसूजा) मेडिकल ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शाहनगर, जिला पन्ना को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7,13(1)डी,13(2) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) बी.सी. के अंतर्गत म.प्र. शासन की अभियोजन स्वीकृति चाही गई है।

2/ **अभिलेखों के अनुसार प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है:-** शिकायतकर्ता श्री महेश सिंह ने डॉ. एन.के.जसूजा मेडिकल ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शाहनगर, जिला पन्ना के विरूद्ध एक रिश्वत मांग संबंधी शिकायती पत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत किया था कि उसकी पुत्री मृतिका राजाबेटी की पी.एम. रिर्पोट देने ओर उसमें हत्या के तथ्य लिखने के एवज में रिश्वत की मांग की गई। शिकायती पत्र के सत्यापन हेतु आरोपी व शिकायतकर्ता के बीच रिश्वत संबंधी वार्तालाप को गोपनीय ढंग से टेपांकित कराया गया, जिसमें एक गोंद से चिपका हुआ लिफाफा एक डिजीटल वॉयस रिकार्डर तथा इस वॉयस रिकार्डर में शिकायतकर्ता तथा अनावेदक के मध्य रिश्वत मांग संबंधी वार्ता रिकार्डेड होना बताया गया है। जिसमें शिकायतकर्ता से बातचीत के दौरान डॉ. एन.के. जसूजा द्वारा 02 लाख रूपये रिश्वत मांग करने की पुष्टि हुई।

इस प्रकार सत्यापन उपरान्त आरोपी के विरूद्ध रिश्वत की मांग करना प्रमाणित पाया जाने से आरोपी डॉ. एन.के.जसूजा मेडिकल ऑफिसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहनगर जिला पन्ना के विरूद्ध दिनांक 05.03.2018 को विधिवत अप. क्र.64/18 धारा 7 पी.सी.एक्ट 1988 का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण की विवेचना प्रारम्भ कर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। शिकायतकर्ता श्री महेश सिंह से 01 लाख रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया एवं मौके पर आरोपी रिश्वत राशि एक लाख रूपये अपने हाथ में लेकर कक्ष में रखी टेबिल की दराज के उपर रख ली थी। आरोपी की टेबिल की दराज के उपर से रिश्वत राशि एक लाख रूपये बरामद की गई। उक्त राशि को प्रारंभिक पंचनामा में दर्ज नोटो के नंबरो से मिलान करने पर मिलान सही पाया गया। इस प्रकार आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता से अवैध रूप से भ्रष्ट आचरण कर रिश्वत की मांग कर रिश्वत ग्रहण करना प्रमाणित पाया गया, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7,13 (1)डी, 13(2) के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आरोपी डॉ. एन.के.जसूजा, मेडिकल ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शाहनगर, जिला-पन्ना को अभियोजित किया जाना आवश्यक है। अभियोजन हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

निरंतर......

3/राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 07.04.2021 में यह निर्णय लिया गया कि अभियोजन स्वीकृति के संबध में डॉ. एन.के.जसूजा को अपने पक्ष समर्थन में अपनी वस्तुस्थिति रखने का अवसर प्रदान किया जावे। इस हेतु संचालनालय के पत्र कमांक 418 दिनांक 26.02.2021 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना को पत्र भेजा गया। एवं दूरभाष पर भी अवगत कराया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना द्वारा पत्र कमांक 2021/491-92 दिनांक 29.04.2021 के द्वारा अवगत कराया गया कि डॉ. जसूजा ने उन्हे दूरभाष पर बताया कि अभी स्वास्थ्य ठीक नही है, जैसे ही स्वास्थ्य ठीक होगा समक्ष में उपस्थित होंगे। प्रकरण राज्य स्तरीय समिति के समक्ष दिनांक 07.09.2021 को पुनः प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण का पुनः परीक्षण कर अभियोजन कमांक 64/2018 में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है।

4/ तद्नुसार राज्य शासन एतद् द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र कमांक एफ 15-1/2014/1-10 दिनांक 05.09.2014 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.04.2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए डॉ. एन.के.जसूजा मेडिकल ऑफिसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहनगर जिला पन्ना आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7,13 (1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिये न्यायालय में अभियोजित करने हेतु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) बी.सी. के अंतर्गत अभियोजन संस्थित करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

(सीमा डेहरिया)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय
भोपाल दिनांक 07/01/22

पृ. कमांक/एफ.12/05/20/मेडि-1/सत्र ह
प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2 प्रमुख सचिव, म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3 आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
4 कलेक्टर जिला पन्ना म.प्र.।
5 अतिरिक्त महानिदेशक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय म.प्र. भोपाल।
6 डॉ. एन.के.जसूजा सेवानिवृत्त मेडिकल ऑफिसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहनगर द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला पन्ना म.प्र.।
7 आदेश नस्ति।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय